

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक : 143/तीन-18-1/2023

महासमुन्द, दिनांक 20/11/2023

इस न्यायिक जिला स्थापना के अंतर्गत तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 01/2023 दिनांक 21.06.2023 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 03/2023 दिनांक 12.07.2023 के परिपेक्ष्य में भर्ती चयन समिति महासमुन्द की अनुशंसा दिनांक 19.11.2023 के आधार पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को **शीघ्रलेखक (हिन्दी)** के पद पर वेतन मैट्रिक्स रु.28700-91300 (स्मअमस.07) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निर्धारित शर्तों के अधीन नियुक्त

क्रं.	चयनित उम्मीदवार का नाम पिता का नाम एवं पता	चयनित वर्ग
1	लखन लाल पिता श्री खीख राम, पता-मकान नंबर 68, दुर्गा चौक बोरदा जिला जांजगीर-चांपा (छ0ग0) पिन-495556	अनारक्षित (दिव्यांग)
2	माधुरी देवांगन पिता श्री बिहारी लाल देवांगन, हाउस नंबर 134 वार्ड नंबर 20 गांधी चौक, दल्ली राजहरा, जिला बालोद(छ0ग0) पिन - 491228	अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)
3	वीणा ठाकुर पिता श्री इन्दल सिंह ठाकुर, पता-वार्ड नंबर 40 दयाल किराना स्टोर के पीछे केलाबाड़ी दुर्ग जिला दुर्ग (छ0ग0) पिन - 491001	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)
4	संध्या पिता श्री श्रवण कुमार, क्वा.नं. 15/डी, सड़क नं. -जे/पॉकेट मरोदा सेक्टर, भिलाई, पोस्ट-सिविक सेन्टर जिला-दुर्ग (छ0ग0) पिन - 490006	अनुसूचित जनजाति (महिला)

टीपः- चयनित उम्मीदवारों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात पदस्थापना से संबंधित आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे ।

नियुक्ति की शर्तें -

- उपरोक्त चयनित उम्मीदवार को आदेश प्राप्ति से अधिकतम 15 दिवस के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
- चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करते समय सेवापुस्तिका (दो प्रतियों में) एवं मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जो आवेदन के साथ संलग्न है, कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा । शैक्षणिक अथवा अन्य दस्तावेज

- किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी ।
3. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय महासमुन्द के मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि वे उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी ।
 4. चरित्र सत्यापन में अथवा किसी अन्य माध्यम से यह प्रकट होता है कि पदधारी की किसी प्रकार के अपराध में संलिप्तता है तो नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।
 5. परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य, व्यवहार तथा आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर अथवा किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी ।
 6. उनकी सेवाएं कभी भी बिना कोई कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह के वेतन का भुगतान कर उन्हें तत्काल सेवामुक्त किया जा सकेगा। यदि वे स्वयं शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा एक माह का वेतन एवं भत्ते की राशि शासकीय कोष में जमा कर किसी भी समय सेवा छोड़ सकेंगे ।
 7. सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी । आगे नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा । अन्य विभागों में नौकरी के लिए आवेदन पत्र कार्यालय के बगैर अनुमति के प्रस्तुत नहीं करेंगे ।
 8. यह नियुक्ति आदेश पूर्णतः प्राविधिक (Provisional) है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगा ।

सही/—
(भीष्म प्रसाद पाण्डेय)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
2. अध्यक्ष, भर्ती चयन समिति/प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द
3. जिला कोषालय अधिकारी, महासमुन्द
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुन्द
5. लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द
6. लखन लाल पिता श्री खीख राम, पता-मकान नंबर 68, दुर्गा चौक बोरदा जिला जांजगीर-चांपा (छ0ग0) पिन-495556
7. माधुरी देवांगन पिता श्री बिहारी लाल देवांगन, हाउस नंबर 134 वार्ड नंबर 20 गांधी चौक, दल्ली राजहरा, जिला बालोद (छ0ग0) पिन - 491228
8. वीणा ठाकुर पिता श्री इन्दल सिंह ठाकुर, पता-वार्ड नंबर 40 दयाल किराना स्टोर के पीछे केलाबाड़ी दुर्ग जिला दुर्ग (छ0ग0) पिन - 491001
9. संध्या पिता श्री श्रवण कुमार, क्वा.नं. 15/डी, सड़क नं.-जे/पॉकेट मरोदा सेक्टर, भिलाई, पोस्ट-सिविक सेन्टर जिला-दुर्ग (छ0ग0) पिन - 490006

सही/-
(भीष्म प्रसाद पाण्डेय)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ.ग.)